भारत सरकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय औषध विभाग

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1456 दिनांक 11 फरवरी, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन

1456. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

श्री मनोज कोटक:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने नवंबर, 2019 महीने में गणवता जांच में विफल होने पर एक महत्वपूर्ण दवाओं सहित दवाओं के 37 बैचों को चिन्हित किया है;
- (ख) यदि हां, तो ऐसी दवाओं और इसके निर्माताओं का ब्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त प्राधिकरण द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है;
- (घ) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के दवा विनिर्माण उद्यम भी चूककर्ताओं में शामिल हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) दवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने की संभावना है; और
- (च) गत पांच वर्षों के दौरान नकली दवाओं/असली दवाओं की प्रतिरूप दवाओं पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

<u>उत्तर</u> रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री डी.वी सदानंद गौडा)

(क), (ख), (ग) और (घ): जी, हां, केन्द्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा नकली/घटिया/ मिलावटी/मिसब्रांडेड के रूप में घोषित दवाओं का विवरण सीडीएससीओ की वेबसाइट (www.dsdsco.nic.in) पर नियमित रूप से शीर्षक "चेतावनी" के तहत अपलोड किया जाता है। नवंबर, 2019 के महीने के गैर गुणवत्ता वाले मामलों का विवरण अनुलग्नक-क के रूप में संलग्न है।

संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा दवाओं के विनिर्माण, बिक्री और वितरण के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाता है। राज्य सरकारों को औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के किसी भी प्रावधान और उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली के उल्लंघन पर कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। उपरोक्त सभी मामलों को संबंधित राज्य जहां

दवा का निर्माण किया गया था, के राज्य औषध नियंत्रकों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेज दिया गया है।

(ङ) और (च): सरकार ने देश में दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विनियामक उपाय किए हैं।

विवरण निम्नान्सार हैं;

1. औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, का औषध एवं प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम 2008 के तहत संशोधन किया गया था, जिसमें घटिया और मिलावटी दवाओं के निर्माण के लिए कठोर शास्तियों का प्रावधान किया गया था। कुछ अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती भी बनाया गया है।

औषध एवं प्रसाधन (संशोधन) अधिनियम 2008 के अंतर्गत संवर्धित शास्तियों के आलोक में घटिया या अव-मानक घोषित किए गए औषिधयों के नमूनों पर कार्रवाई करने के लिए दिशा-निर्देश राज्य दवा नियंत्रकों को समान रूप से कार्यान्वयन के लिए भेजे गए।

राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया था कि वे त्विरत निस्तारण के लिए औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों का गठन करें। अब तक, 33 राज्यों ने पहले से ही नकली और घटिया दवाओं से संबंधित मामलों के परीक्षण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की है।

केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) में स्वीकृत पदों की संख्या 111 (अप्रैल, 2008 में) से बढ़ाकर 511 (जून, 2019 में) कर दी गई है।

सीडीएससीओ के तहत केंद्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं की परीक्षण क्षमताओं को देश में दवा के नमूनों के परीक्षण में तेजी लाने के लिए लगातार मजबूत किया जा रहा है।

दिनांक 03.04.2017 को, दवाओं की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए, औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 में संशोधन किया गया है जिसमें यह प्रावधान है कि आवेदक बायोफार्मास्युटिकल वर्गीकरण प्रणाली की श्रेणी II और श्रेणी IV के अंतर्गत आने वाले दवाओं की ओरल डोज़ फॉर्म के विनिर्माण लाइसेंस के अनुदान के लिए आवेदन के साथ जैव-निर्भरता अध्ययन का परिणाम प्रस्तुत करेगा।

दिनांक 27.10.2017 को राजपित्रत अधिसूचना सं. जीएसआर1337(ई) द्वारा औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 को संशोधन किया गया है, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि उत्पाद विनिर्माण लाइसेंस देने से पहले, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के औषध निरीक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से विनिर्माण प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया जाए।

जोखिम आधारित दृष्टिकोण के आधार पर या आवश्यकतानुसार लाइसेंस की शर्तों और औषध अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों के अन्पालन का सत्यापन करने के लिए तीन वर्षों में कम से कम एक बार केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के औषध निरीक्षकों के द्वारा लाइसेंस दिए गए विनिर्माण परिसरों का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाएगा।

दिनांक 10.04.2018 को, राजपत्रित अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 360 (ङ) के तहत औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 में संशोधन किया गया है।, जिसमें सभी दवाओं के लिए यह अनिवार्य किया गया है, कि प्राधिकारी द्वारा उत्पाद विनिर्माण लाइसेंस प्रदान करने से पहले आवेदक राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण को स्थिरता, उत्पादों की स्रक्षा आदि के साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे।

औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 की अनुसूची एम में संशोधन करने के लिए मसौदा नियमों को जीएसआर 999 (ङ), दिनांक 05.10.2018 के द्वारा प्रकाशित किया गया है, ताकि डब्ल्यूएचओ-जीएमपी दिशानिर्देशों के अन्रूप इसे और अधिक व्यापक बनाया जा सके।

सरकार ने कुल 1750 करोड़ के व्यय पर देश में औषध विनियामक प्रणाली को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के स्तर पर एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें से 900 करोड़ रु. रुपये केंद्रीय औषध विनियामक संरचना को मजबूत करने के लिए है और 850 करोड़ रुपये राज्यों में औषध विनियामक संरचना को मजबूत करने के लिए है। वर्ष 2016-17 और 17-18 के दौरान केंद्रीय घटक के तहत 128.39 करोड़ रुपये जारी किए गए जबिक वर्ष 2018-19 के दौरान इस घटक के तहत 87.90 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। वर्ष 2019-20 के दौरान 82.90 करोड़ आवंटित किए गए थे। राज्य घटक के तहत, रु. 81.36 करोड़ 2016-17 और 17-18 के दौरान जारी किए गए जबिक 2018-19 के दौरान इस घटक के तहत 206 करोड़ आवंटित किए गए थे।

इसके अलावा, विभिन्न राज्य/संघ शासित राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार औषध नियंत्रकों द्वारा परीक्षण किए गए औषधों के नमूनों की संख्या, न्यून मानक गुणवत्ता, घटिया/मिलावटी घोषित किए गए दवाइयों के नमूनों की संख्या, इनका प्रतिशत और पिछले पांच वर्षों के दौरान की गई कार्रवाई अनुलग्नक ख के रूप में संलग्न है।

सीडीएससीओ के विभिन्न जोनल/सब-जोनल कार्यालयों से प्राप्त ऐसी जानकारी **अनुलग्नक ग** के रूप में संलग्न है।

<u>अनुलग्नक-क</u>

दवाओं की सूची, मानक के रूप में घोषित की गई है, नवंबर, 2019 के महीने के लिए

क्र.सं.	औषधि/चिकित्सा उपकरण/सौंदर्य	बैच नं./निर्माण की तिथि/समाप्ति की तिथि/द्वारा
	प्रसाधन का नाम	विनिर्मित
	पैंटोप्राजोल गैस्ट्रो प्रतिरोधी टैबलेट	बी नं.: टी -7172
	आईपी	निर्माण की तिथि: 10/2018
		समाप्ति की तिथि: 09/2020
		द्वारा विनिर्मितः मेसर्स क्वॉलिटी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड नाग कलां , मजीठा रोड, अमृतसर।
	इबुप्रोफेन टैबलेट आईपी 400 एमजी.	बी. नं.: 01019-बीजेए36
		निर्माण की तिथि: 01/2019
		समाप्ति की तिथि: 12/2020
		द्वारा विनिर्मित: मेसर्स बायोजेनेटिक ड्रग्स प्रा. लिमिटेड गावं-झारमाजरी, बद्दी, जिला-सोलन हिमाचल प्रदेश-174103
	पैंटोप्राज़ोल एंटरिक लेपित टैबलेट40	बी. नं.: टी -7224
	एमजी.	निर्माण की तिथि: 11/2018
		समाप्ति की तिथि: 10/2020
		द्वारा निर्मित मेसर्स क्वॉलिटी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड नाग कलां , मजीठा रोड, अमृतसर
	टेल्मिसर्टन टैबलेट आईपी 40एमजी.	बी. नं.: एलवीटी -28800
	(टेलजीवेर-40)	निर्माण की तिथि: 04/2018
		समाप्ति की तिथि: 03/2020
		द्वारा विनिर्मित: मैसर्स लाइफ विजन हेल्थकेयर, प्लॉट नं. 140-141, ईपीआईपी, फेज- I, झारमाजरी, बद्दी, जिला - सोलन, हिमाचल प्रदेश- 174103
	लेवोसिटिरिज़िन डायहाइड्रोक्लोराइड	बी. नं.: एलसी18004
	टैबलेटआईपी 5एमजी.	निर्माण की तिथि: 04/2018
		समाप्ति की तिथि : 03/2020
		द्वारा विनिर्मित: मैसर्स लाइफ मैक्स कैंसर लैबोरट्रीज, प्लॉट नंबर 106 और 106 ए, सेक्टर -6 ए, आई.आई.ई., सिडकुल, हरिद्वार, उत्तराखंड -249403
	एल्बेंडाजोल टैबलेट आईपी (सी-बेंड)	बी. नं.: जी002/2561
		निर्माण की तिथिः 04/2019

	C 0 00
	समाप्ति की तिथि: 03/2021
	द्वारा विनिर्मित: मेसर्स एलिफन ड्रग्स प्रा. लिमिटेड गांव- बर्सन , नालागढ़ (हिमाचल प्रदेश) -174101
एल्बेंडाजोल टैबलेटआईपी 400	बी. नं.: 8605318 ,
एमजी.	निर्माण की तिथि: 10/2018
	समाप्ति की तिथि : 09/2021
	द्वारा विनिर्मितः मैसर्स कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड
	फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, प्लॉट नंबर 14, द्वितीय फेज, पीन्या , बैंगलोर -560058
पैंटोप्राजोल टैबलेट आईपी	बी. नं.: टी03पीए11-18
(ਖੈਤ -40)	निर्माण की तिथि: 11/2018
	समाप्ति की तिथि: 10/2020
	द्वारा विनिर्मित: मेसर्स अडसिला ऑर्गेनिक्स
	प्रा. लिमिटेड लिवासपुर रोड, गांव-बहालगढ़ -131,021, हरियाणा
सेडॉक्सिल 500एमजी टैबलेट	बी. नं.: टी-16549
	निर्माण की तिथि: 03/2018
	समाप्ति की तिथि: 02/2020
	द्वारा विनिर्मित: मेसर्स जैक्सन लेबोरेटरीज प्रा. लिमिटेड,
	बाय पास, मजीठा रोड, अमृतसर -143004
अम्लोडपाइन टैबलेट आईपी 5एमजी	बी नं.: सीएचटी-9124
	निर्माण की तिथि: 03/2019
	समाप्ति की तिथि: 02/2021
	द्वारा विनिर्मित: मैसर्स बंगाल केमिकल्स एंड
	फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, एनएच- नं.74 रुड़की -देहरादून
	राजमार्ग, किशनपुर, रुड़की -247667, उत्तराखंड।
कार्बामाजेपिन एक्टेडिंड रिलीज	बी. नं.: एएबी8बी007
टैबलेट आईपी (एसेटोल सीआर-200	निर्माण की तिथि: 03/2018
ਟੈਕਕੇਟ)	समाप्ति की तिथि: 02/2020
	द्वारा विनिर्मित: साइकोट्रोपिक्स इंडिया लिमिटेड, प्लॉट
	नंबर- 46 और 49, सेक्टर -6 ए, आई.आई.ई., सिडकुल,
11. 1 2. 12. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 2	औद्योगिक क्षेत्र, रानीपुर , हरिद्वार -249 403 (उत्तराखंड) बी. नं.: 205
एल्बेंडाजोल वेट. ओरल सस्पेंशन (फलुकगोन)	=
(17313751101)	निर्माण की तिथि: 11/2018
	समाप्ति की तिथि: 10/2020
	द्वारा विनिर्मित: एल्ब्रो फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लिमिटेड

	जीएमपी प्रमाणित कंपनी मुक्तसर 152026, पंजाब।
प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक कैप्सू	न्न बी. नं.: एचसी-1805016
(रिप्योर कैप्सूल)	निर्माण की तिथि: 05/2018
	समाप्ति की तिथि: 04/2020
	द्वारा विनिर्मित: हिलैक्स हेल्थ केयर प्राइवेट
	लिमिटेड, खसरा नंबर 410, गांव करोंदी, रुड़की -
	247667,जिला- हरिद्वार
सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम, विटारि	
बी 12 और विटामिन डी 3 (कलर	^{नी-} निर्माण की तिथि: 05/2019
डी)	समाप्ति की तिथि: 04/2021
	द्वारा विनिर्मितः श्रीधारा लाइफ साइंस प्रा. लिमिटेड
	खसरा नंबर 285,290, गांव-
	सिसौना , भगवानपुर , रुड़की , हरिद्वार (उत्तराखंड)
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	-247661
फेरस एस्कॉर्बेट , फोलिक, जि और सिनोकोबलामिन सिरप	
(फेरोफॉल-बीजेड)	निर्माण की तिथि: 03/2019
(परापाल-बाजंड)	समाप्ति की तिथि: 02/2021
	द्वारा विनिर्मितः मसकोन लाइफ साइंसेज प्रा. लिमिटेड खसरा नंबर 69 और
	70 खातखरी , भगवानप्र , रुड़की (उत्तराखंड)
	भारत
एमडीजाइन- डीटी (सेट्रिर्ज़	ोन बी. नं.: जेडटी-8313
डाइहाइड्रोक्लोराइड टैबलेट)	निर्माण की तिथि: 01/2019
	समाप्ति की तिथि: 12/2021
	द्वारा विनिर्मित: मैसर्स जेनिथ हेल्थकेयर लिमिटेड,
	388/34, चांडोगर इंडस्ट्रीज़
	एस्टेट, सरखेज बावला राजमार्ग, चांडोगर -382,210
रेमिज़िम - 2.5 (रेमिप्रिल टैबलेट	बी. नं.: ईएच97एम801
आईपी 2.5 एमजी)	निर्माण की तिथि: 12/2018
	समाप्ति की तिथि: 11/2020,
	द्वारा विनिर्मित: मैसर्स जेडआईएम लेबोरेटरीज लिमिटेड
	(यूनिट-II), ए-8/14, एमआईडीसी, क्षेत्र, कलमेश्वर
	441,501, जिला नागपुर, महाराष्ट्र

	0 . 0			
ट्रिप्सिन च्योमोट्रीप्सिन टैबलेट	बी. नं.: टी 53903			
	निर्माण की तिथि: 05/2018			
	समाप्ति की तिथि: 04/2021			
	द्वारा विनिर्मित: मैसर्स वर्धमान एक्सपोर्ट्स, ए -188, टीटीसी, एमआईडीसी, खैरन , नवी मुंबई - 400 710			
रामिप्रिल टैबलेट्स आईपी 2.5	बी. नं.: आरएपीटी18004			
एमजी	निर्माण की तिथि: 12/2018			
	समाप्ति की तिथि: 11/2020			
	द्वारा विनिर्मित: भैसर्स रावियन लाइफ साइंसेज प्रा. लिमिटेड, प्लॉट नंबर 34, सेक्टर 8ए, आई.आई.ई., सिडकुल, हरिद्वार -249 403, उत्तराखंड।			
केडप्रिल 5 (रामिप्रिल टैबलेट	बी. नं.: जेडपीआर0037			
आईपी)	निर्माण की तिथि: 08/2018			
	समाप्ति की तिथि: 07/2020			
	द्वारा विनिर्मित: मैसर्स प्रीत रेमिडिज लिमिटेड, 183-			
	186, हिमाचल प्रदेशएसआईडीसी, औद्योगिक क्षेत्र, बद्दी , जिला सोलन - (हिमाचल प्रदेश) - 173205			
विटामिन बी-कॉम्प्लेक्स टैबलेट	बी. नं.: केए19001			
एनएफआई	निर्माण की तिथि: 01/2019			
	समाप्ति की तिथि: 06/2020			
	द्वारा विनिर्मित: मैसर्स ऑर्टिन लेबोरेटरीज लि., 275 एंड 278 (पार्ट) आईडीए पाशामिलरम -502307, मेडक, आंध्र प्रदेश			
मेडटोइन (फेनीटोइन सोडियम	बी. नं.: एसपीटी190048ए,			
टैबलेट्स आईपी)	निर्माण की तिथि: 01/2019			
	समाप्ति की तिथि: 12/2020			
	द्वारा विनिर्मितः मैसर्स सालूस फार्मास्यूटिकल्स, 480/211, हैयाईपुर, पीओ गुरुमाजरा , तेहसील बद्दी, जिला सोलन, (हिमाचल प्रदेश) - 173 205			
डोक्सीगार्ड (डॉक्सीसाइक्लिन और	बी. नं.: एसओसी-615एफ			
लैक्टिक एसिड बेसिलस कैप्सूल)	निर्माण की तिथि: 01/2018			
	समाप्ति की तिथि: 12/2019			
	द्वारा विनिर्मित: मैसर्स सिम्बायोसिस फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लिमिटेड, (यूनिट- III), त्रिलोकपुर रोड, काला आम्ब - 173030 (हिमाचल प्रदेश)			

ओमेप (ओमप्राजोल कैप्सूल आईपी	बी. नं.: यूओएमआई 1803
20एमजी)	निर्माण की तिथि: 02/2018
	समाप्ति की तिथि: 01/2020
	द्वारा विनिर्मित: मैसर्स बाल फार्मा लिमिटेड, प्लॉट नंबर 1, 2, 3 और 69, सेक्टर 4 आई.आई.ई., सिडकुल, पंतनगर , रुद्रपुर जिला- ऊधमसिंह नगर, उत्तराखंड , भारत
क्रीप बैंडेज (10 सीएमएस एक्स 4	बी. नं.: 37
एमटीआरएस)	निर्माण की तिथि: 10/2017
	समाप्ति की तिथि: समाप्ति से 3 वर्ष की तिथि
	द्वारा विनिर्मितः मैसर्स हिंदुस्तान सर्जिकल एप्लाइएन्स, 29, हुज़ूरी मुल्ल लेन, कोलकाता - 700 014
मेट्रोनिडाजोल टैबलेट आईपी 400	बी. नंबर: 7596027
एमजी	निर्माण की तिथि: 08/2017
	समाप्ति की तिथि: 07/2020
	द्वारा विनिर्मित: मैसर्स बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, 164, मानिकतला मेन, रोड, कोलकाता - 700054
रेमिजिम 5 (रामिप्रिल टैबलेट	बी. नं.: ईओ82एम801
आईपी 5 एमजी)	निर्माण की तिथि: 12/2018
	समाप्ति की तिथि: 11/2020
	द्वारा विनिर्मितः मैसर्स जिम लेबोरेटरीज लिमिटेड (यूनिट-II), ए-8/14, एमआईडीसी क्षेत्र, कलमेश्वर 441,501, जिला नागपुर, महाराष्ट्र
जिंक सल्फेट टैबलेटआईपी 20	बी. नं.: 05069
एमजी	निर्माण की तिथि: 06/2019
	समाप्ति की तिथि: 05/2021
	द्वारा विनिर्मितः मैसर्स हैल्थ लाइफ फार्मा प्रा. लिमिटेड, एन-31/1, एमआईडीसी, तारापुर, जिला पालघर, बोईसर-401506, महाराष्ट्र
बैक्ट्रासीन जिंक	बी. नं.: बी 9090304
	निर्माण की तिथि: 03/2019
	समाप्ति की तिथि: 03/2023
	द्वारा विनिर्मित: मैसर्स यानचेंग यूहुआ फार्मास्युटिकल एंड केमिकल टेक्नोलॉजी, कंपनी लिमिटेड, चीन
सिप्रोफ्लोक्सासिन टैबलेट आईपी 250 एमजी	बी. नं.: (10) सीआईटीडब्ल्यू-31

	0 000			
	समाप्ति की तिथि: 04/2019			
	समाप्ति की तिथि: 03/2021			
	द्वारा विनिर्मितः मैसर्स नेस्टर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड,			
	11, पश्चिमी विस्तार क्षेत्र, फरीदाबाद -121001			
साइक्लोसेरिन कैप्सूल यूएसपी 250	बी. नं.: ईसीबी5836ए			
एमजी	निर्माण की तिथि: 07/2018			
	समाप्ति की तिथि: 06/2021			
	द्वारा विनिर्मितः मैसर्स मक्लोडस फार्मास्यूटिकल्स			
	लिमिटेड, प्लॉट नं 25-27, सर्वेक्षण नं366, प्रीमियर			
	औद्योगिक एस्टेट, काचीगम, दमन 396,210 (यूटी)			
रबियन-डीएसआर (इन्ट्रिकटेड	बी. नं.: एनवाई1180			
रबिराजोले सोडियम और डोमपेरीडोन	निर्माण की तिथि: 05/2019			
एसआर कैप्सूल)	समाप्ति की तिथि: 04/2021			
	द्वारा विनिर्मितः मैसर्स इंटास फार्मास्यूटिकल्स			
	लिमिटेड, समरडुंग रोड, काब्रे ब्लॉक, नामथांग इलाका,			
	दक्षिण सिक्किम- 737 132			
इप्टोइन 300 ईआर (फेनीटोइन	बी. नं.: एसडीई0020			
सोडियम एक्सटेंडेड रिलीज़ टैबलेट	निर्माण की तिथि: 03/2019			
300 एमजी)	समाप्ति की तिथि: 02/2021			
	द्वारा विनिर्मितः मैसर्स सिडमार्क लेबोरेटरीज (इंडिया)			
	प्रा. लिमिटेड, प्लॉट नं. 20, फार्मा सिटी, सेलाकुई			
	औद्योगिक क्षेत्र, देहरादून -248197, उत्तराखंड			
सफपिरोमे इंजेक्शन (अज़्ज़िसेफ़),	बी. नं.: जीएस1547जी,			
	निर्माण की तिथि: 08/2018,			
	समाप्ति की तिथि: 07/2020,			
	द्वारा विनिर्मित: उल्लेख नहीं है			
"अमोक्सीलिन 500 एमजी के	बी. नहीं.: निर्दिष्ट नहीं,			
समतुल्य अमोक्सीलिन एवं	निर्माण की तिथि: विनिर्दिष्ट नहीं,			
पोटाशियम क्लवुलमेट, क्लवुलनिक	समाप्ति की तिथि: विनिर्दिष्ट नहीं,			
एसिड 125 एमजी के समतुल्य	दवारा विनिर्मितः विनिर्दिष्ट नहीं			
पोटाशियम क्लवुलमेट डिलुटेड आईपी				

<u>अनुलग्नक-ख</u> पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र औषध नियंत्रक द्वारा लिए गए नमूनों की जाँच और प्रवर्तन कार्रवाईयों की संख्या

वर्ष	परीक्षण	मानक	मानक	घटिया/मिलावटी	घटिया/मिलावटी	घटिया	निर्णित	गिरफ्तार	जब्त की गई	मारे गए छापों
	किए	गुणवत्ता	गुणवत्ता	घोषित किए गए	घोषित किए	/मिलावटी	मामलों (जैसा	किए गए	दवाइयों का	की संख्या
	गए	रहित	रहित	दवाइयों के	गए दवाइयों के	दवाइयों के	की पूर्ण	व्यक्तियों	अनुमानित	
	दवाइयों	घोषित	घोषित	नमूनों की संख्या	नमूनों की	विनिर्माण, बिक्री	क़ॉलम में	की संख्या	मूल्य (भारतीय	
	के	दवाइयों के	दवाइयों		संख्या का	और वितरण के	उल्लिखित)		रूपए में)	
	नमूनों	नमूनों की	के नमूनों		प्रतिशत	लिए शुरू किए	की संख्या			
	की	संख्या	की संख्या			गए अभियोजन				
	संख्या		का			की संख्या				
			प्रतिशत							
2014-15	74,199	3702	4.98	83	0.11	152	10	85	58251111	14,042
2015-16	74,586	3703	4,96	234	0.31	289	2	59	55313470.5	3648
									+	
									सरकार आपूर्ति	
2016-17	76,721	2,780	3.6	123	0.16	186	17	106	7,72,68,717.5	10,921
2017-18	82,599	2783	3.36	236	0.28	131	16	163	17,86,08,008	7067
2018-19	76,101	2,549	3.35	205	0.27	484	77	153	80389057	33,492
									(लगभग)	

<u>अनुलग्नक-ग</u> पिछले पांच वर्षों के दौरान सीडीएससीओ के जोनल / सब- जोनल कार्यालयों द्वारा लिए गए नमूनों की जाँच और प्रवर्तन कार्रवाईयों की संख्या

वर्ष	परीक्षण	मानक	मानक	घटिया/मिलावटी	घटिया/मिलावटी	घटिया	निर्णित	गिरफ्तार	जब्त की गई	मारे गए
	किए	गुणवत्ता	गुणवत्ता	घोषित किए	घोषित किए	/मिलावटी	मामलों (जैसा	किए गए	दवाइयों का	छापों की
	गए	रहित	रहित	गए दवाइयों के	गए दवाइयों के	दवाइयों के	की पूर्ण	व्यक्तियों	अनुमानित मूल्य	संख्या
	दवाइयों	घोषित	घोषित	नमूनों की	नमूनों की	विनिर्माण, बिक्री	क़ॉलम में	की संख्या	(भारतीय रूपए	
	के	दवाइयों के	दवाइयों	संख्या	संख्या का	और वितरण के	उल्लिखित) की		में)	
	नमूनों	नमूनों की	के नम्नों		प्रतिशत	लिए शुरू किए	संख्या			
	की	संख्या	की संख्या			गए अभियोजन				
	संख्या		का			की संख्या				
			प्रतिशत							
2014-15	3605	121	3.36	0	0	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	48
2015-16	2897	115	3.96	5	0.17	38	शून्य	4	21052298	42
2016-17	5207	146	2.80	शून्य	0.0	21	4	शून्य	3911850	56
2017-18	7088	381	5.37	2	0.028	17	1	6	8820385	8
2018-19	10,382	310	2.98	5	0.048	31	9	4	38218920	52